राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 2592/2011/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, कोटा .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स हर्ष एण्ड कम्पनी,
292, चांदपोल बाजार, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित :–

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलाथी–विभाग की ओर से

श्री विक्रम गोगरा
अधिकृत अभिभाषक .....प्रत्यर्थी–व्यसायी अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 363/आरवेट/ जी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2011 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2010 को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 08.01.2010 को वाहन संख्या MP-09-HF-1198 को परिवहन के दौरान विज्ञान नगर कोटा के समीप चैक किया गया। वक्त चैकिंग वाहन में नॉन एडीबल ऑयल परिवहनित किया जा रहा था। उक्त माल शीतल रिफाइनरी कम्पनी लिमिटेड हैदराबाद द्वारा मैसर्स हर्ष एण्ड कम्पनी चांदपोल बाजार, जयपुर को भेजा जा रहा था। परिवहनित माल के साथ वांछित घोषणा प्रपत्र वैट–47 नहीं पाया गया। सशक्त अधिकारी ने माल के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 नहीं पाये जाने के कारण, प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत प्रत्यर्थी के विरूद्ध शास्ति रुपये 1,54,557/–अपने आदेश दिनांक 13.12.2010 से आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 16.08.2011 द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस में दिये गये कारण से स्पष्ट कर दिया गया था कि व्यवहारी को यह ज्ञान नहीं था कि कन्साइंमेंट के आधार पर बिकने आने वाला माल पर भी वैट–47 की अनिवार्यता है। व्यवहारी ने दिनांक 13.12.2010 को ही वांछित घोषणा प्रपत्र वैट–47 क्रमांक 5919925 सशक्त अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया था। उन्होने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी.पी.मैटल्स 101 एसटीसी 611 का हवाला दिया जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होते ही जवाब के साथ वैट–47 यदि पेश कर दिया जाता है तो उक्त निर्णय के अनुसार शास्ति आरोपण अनुचित है। उनका निवेदन था कि विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अंस्वीकार की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त का अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि माल कन्साइंमेंट बेसिस पर बिकने गया था। यह सही है कि माल के साथ वांछित घोषणा प्रपत्र वैट–47 वक्त चैकिंग के दौरान उपलब्ध नहीं था। व्यवहारी को यह ज्ञान नहीं था कि कन्साइंमेंट बेसिस पर माल मंगाने पर वैट–47 की अनिवार्यता है। कारण बताओ नोटिस मिलने पर व्यवहारी द्वारा जवाब के साथ वैट–47 सशक्त अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स डी.पी.मैटल्स 101 एसटीसी 611 के प्रकरण में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:–

If by mistake some of the documents are not readily available at the time of check post principles of natural justice ~~may~~ may require some opportunity being given to produce the same.

इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब के साथ वांछित घोषणा प्रपत्र वेट–47 सशक्त अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया था। अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। कोई नया बिन्दु सामने नहीं आया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16.08.2011 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष